सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| कार्तिक 10, रविवार, शाके 1942- नवम्बर 1, 2020 *Kartika 10, Sunday , Saka 1942- November 1, 2020* | |

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अक्टूबर 31, 2020**

**संख्या प.1(1)न्याय/2020 :-**राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है-

| क्र.सं. | जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम | अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम | बैठक का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां | अपर जिला न्यायाधीश, अटरू | अटरू |
| 2. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा | अपर जिला न्यायाधीश, सिकराय | सिकराय |
| 3. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम | अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर | सांगानेर |
| 4. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर | अपर जिला न्यायाधीश, सांचौर | सांचौर |
| 5. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला | अपर जिला न्यायाधीश, बिलाडा | बिलाडा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली | अपर जिला न्यायाधीश, देसूरी | देसूरी |
| 7. | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही | अपर जिला न्यायाधीश, पिण्डवाडा | पिण्डवाडा |

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियॉ प्रदान की जायेगी।

**राज्यपाल के आदेश से,**

विनोद कुमार भारवानी,

**प्रमुख शासन सचिव।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**